

8. निविदा की स्वीकृती के पुर्व अधोहस्ताक्षरी यह अधिकार रखता है की सभी निविदाधारकों से फर्निचर के नमुने (सॅम्पल) मंगायें । ऐसी स्थिती में निविदाधारक बिना किसी किमत के नमूना पेश करने के लिए बाध्य होंगे ।
9. निविदा की स्वीकृती के समय तथा फर्निचर की खरीदी के समय अधोहस्ताक्षरी स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधी द्वारा निरीक्षण करा सकता है जो कि सामान की गुणवत्ता निर्धारित नमुने के अनुसार न होने पर वापिस कर सकता है ।
10. 30.04.2017 तक निविदा द्वारा कोटेड रेट का सामान स्वीकृत किया जायेगा ।
11. सफलतापूर्वक सामान आपूर्ति (सप्लाय) के बाद बिल की छायाप्रति (जिसमें सीएसटी, एमएसजीएसटी तथा व्हॅट समायोजित ) जवाहर नवोदय विद्यालय को देना होगा ताकि उसके बिल भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाही कीया जा सकें ।
12. सफलतापूर्वक आवश्यक सामान की आपूर्ति (सप्लाय)के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय बसमतनगर को आपूर्ति वस्तुओं का बिल खरेदी आदेश के साथ जमा करें । यदि दिये गये आदेश में किसी वस्तु की आपूर्ति नहीं कि जा सकी है तो निर्धारित दर पर किसी दुसरे पार्टी से सामान की खरीदी कि जायेगी और निर्धारित मुल्य से जो अधिक दर होगा निविदाधारक के सेक्युरिटी डिपॉझिट से काट दिया जायेगा । जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य कॅस चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा बिल का भुगतान करेंगे । भुगतान करते समय डीमांड ड्राफ्ट के बैंक चार्जस बिल में से कटौती कि जाएगी ।
13. सभी निविदा के साथ व्हॅट सर्टीफिकेट, दुकान का लायसंस सर्टीफिकेट , आयकर बेबाकी. आएसओ : 9001:2000 सर्टीफिकेट, इक्सआईज प्रमाणपत्र, संलग्न करना आवश्यक है ।
14. निविदा के साथ वर्ष 2015.16 में भरे गए इनकम टॅक्स रिटर्न की छायाप्रति संलग्न की जायें
15. उपरोक्त शर्तों को जो नहीं स्वीकार करेगा उसकी निविदा को निरस्त/रद्द कर दिया जायेगा ।
16. निविदा खोले जाने के समय न्युनतम निविदा की स्वीकृति व निगोशिएशन का अधिकार प्राचार्य को होगा ।
17. स्वीकृत निविदाधारक को शपथपत्र देना होगा की, उसे निविदा के संदर्भ में विद्यालय के सभी नियम और शर्तों(जो की निविदाफार्म में मौजूद हैं ) पालन करने के लिए बाध्य हूँ, उसका उल्लंघन होने पर मेरा ईएमडी एवं सेक्युरिटी डिपॉझिट जप्त किया जाए । स्वीकृत निविदाधारक को वस्तुओं का पुरवठा एका बार वस्तु का दर निश्चित किया गया तो वही न्युनतम दर से ही करना होगा ।
18. निविदाधारक की ओर से विद्यालय में भरी हुई निविदा संमत हुई या नहीं हुई, इस का निर्णय विद्यालय के विद्यालय स्तरीय खरेदी समिती के निर्णयनुसार निविदाधारक को सुचित करेगी ।
19. वस्तुओं का ऑर्डर देने के पश्चात पुरवठा की जानेवाली वस्तु स्पेसिफिकेशन के अनुसार विद्यालय को पुरवठा तुरंत करना होना चाहिए .
20. पुरवठा की जानेवाली फर्निचर साहित्य को शासकीय तांत्रिकोंसे परिक्षण किया जायेगा, तांत्रिकों के परिक्षण के पश्चात फर्निचर साहित्य स्पेसिफिकेशन के अनुसार है तो ही मान्यताप्राप्त की जाएगी ।